न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियाँ आर.ए.एस

अपील सं0 2021/29 (29/2021)

1. प्रेमचन्द पुत्र श्री हरपाल राम जाति जाट निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. साहबराम पुत्र श्री हरपाल राम जाति जाट निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. कृष्ण पुत्र श्री हरपाल जाति जाट निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

बनाम

1. इनायत खॉ पुत्र श्री सफी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 2 जेड डब्ल्यू एम (मोधूनगर) तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
2. पप्पू पूत्र सफी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 2 जेड डब्ल्यू एम (मोधूनगर) तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
3. श्योकत पुत्र हुसैन जाति मुसलमान निवासी चक 2 जेड डब्ल्यू एम (मोधूनगर) तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ —असल रेस्पोडेण्ट
4. शेर मोहम्मद पुत्र हुसैन खॉ जाति कलाल निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. सलीम पुत्र हुसैन खॉ जाति कलाल निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
6. अब्दुल पुत्र मौहम्मद्दीन जाति कलाल निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
7. निजामदीन पुत्र श्री मोहम्मद्दीन जाति कलाल निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
8. कासिम अली पुत्र श्री मौहम्मद्दीन जाति कलाल निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
9. इन्द्रा पत्नी रियासत अली जाति कलाल निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
10. इब्राहिम पुत्र अल्लाबक्श जाति तेली निवासी [illegible] जिला हनुमानगढ।
11. जाकिर हुसैन पुत्र सदीक जाति तेली निवासी [illegible] जिला हनुमानगढ।
12. मुस्लिम समुदाय भवन, जरिये [illegible] 2 जेड [illegible] एम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

13. रूसतम खॉ पुत्र श्री अमरदीन जाति मुसलमान निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
14. रा. उ. प्रा. विद्यालय चक 2 जेड डब्ल्यू एम जरिये प्रधानाध्यापक चक 2 जेड डब्ल्यू एम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर। – रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी रावतसर दिनांक 03.02.2021
प्रकरण संख्या 5/2021 बअनवानी प्रकरण ग्रामवासी चक 2 जेड डब्ल्यू एम

उपस्थितिः–
श्री देवदत्त भिड़ासरा, अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजय कौशिक, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1 व 3
श्री लोकेश शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 3 ता 13
श्री खुशकरण सिह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 14

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय **दिनांक – 24.09.2021**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी रावतसर ने तहसीलदार रावतसर से प्राप्त उनके पत्र. क्रमांक राजस्व/2020/822 दिनांक 30.12.2020 द्वारा चक 2 जेडडब्ल्यूएम में रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा प्राप्त होने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया। तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ईनायतखां वगैरह ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि उनकी कृषि भूमि चक 2 जेडडब्ल्यूएम पटवार हल्का मौधूनगर में स्थित है। अपनी कृषि भूम में वे प. नं. 126/386 के किला नं. 21 ता 25 में बने चालू रास्ता होते हुए आवागमन करते हैं। उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई चालू रास्ता नहीं है। अप्रार्थी प्रेमकुमार–साहबराम–कृष्ण पि0 हरपाल ने इस रास्ता को बंद कर दिया है जिससे प्रार्थीगण का आवागमन बंद हो गया है। प्रार्थीगण ने रास्ता चालू करवाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार रावतसर से जांच करवाई जिस पर तहसीलदार ने प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत करने … भिजवाया।
2. अप्रार्थी कृष्ण–प्रेमचन्द–साहबराम … चक 2 जेड डब्ल्यू एम में रास्ता स्वीकृत नहीं करने … कथन किया किप. नं. 126/386 के किला नं. 21 ता 24 … भूमि है इस भूमि में आवागमन हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प. नं. 125/386 के किला नं. 21 ता 25 में मंजूरशुदा रास्ता है, जो चल रहा है। लेकिन प्रार्थी के कब्जा काश्त के किला नंबर में रास्ता मंजूर करवाना चाहते है। दोबारा से पटवारी हल्का व गिरदावर से रिपोर्ट मंगवाई जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः तहसीलदार रावतसर से रिपोर्ट मंगवाई और अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रश्गनत रास्ता स्वीकृत किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रभावित पक्षकार को सुने बिना पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने प. नं. 126/386 के मु. नं. 23 के किला नं. 21 ता 25 में रास्ता बन्द करने व उक्त रास्ता गत 50 वर्षों से चालू होने का कथन करके बंद रास्ता को खुलवाने का अनुतोष चाहा था। परन्तु विचारण न्यायायलय ने बिना किसी आधार के व बिना रेस्पो0 के अनुतोष चाहे ही उनके प्रार्थना–पत्र को धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम सपठित शर्त सं0 8 (2) राजस्थान उपनिवेशन सामान्य शर्तें 1955 के तहत दर्ज करके तहसीलदार रावतसर से रिपोर्ट प्राप्त की है। पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का ने बिना मौका पर जाये व बिना मौका निरीक्षण किये एवं बिना प्रार्थीगण के सूचना दिये 40 वर्षों से रास्ता चालू होना मानकर अपनी रिपोर्ट भिजवा दी है। प्रश्नगत रास्ता कभी भी चालू नहीं रहा है वर्तमान में किला नं. 21 ता 24 में फसल गेहूँ है व अपीलाण्ट की ढाणी बनी हुई है। रेस्पोडेण्ट की भूमि में जाने हेतु प. नं. 123/386, 124/386 प्रत्येक के किला नं. 21 ता 25 में मौका पर चालू रास्ता स्वीकृत है तथा चालू है एवं प. नं. 126/385 व 127/385 प्रत्येक के किला नं. 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत है जो चक 2 जेड डब्ल्यू एम की आबादी व रेस्पो0 सं0 1 ता 3 की कृषि भूमि में पहूँचता है। परन्तु विचारण न्यायालय ने इस पर कोई गौर नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ता 14 को बिना पक्षकार बनाये व बिना कोई सूचना दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं हैं। विद्वान अधिवक्ता ने परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016, पेश करते हुए कथन किया कि राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2016 के लिए रास्ते संबंध में जो प्रावधान बनाये गये हैं वह माह नवम्बर से 15 दिसम्बर 2016 तक पूर्ण की जानी थी। [illegible] धीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश उक्त अवधि के बाद दिनांक 03.02.202[illegible] पारित किया गया है। गजट अधिसूचना दिनांक 11.05.2012 [illegible] हुए कथन किया राज0 उपनिवेशन सामान्य शर्त सं0 8 (2) वर्तमान में प्र[illegible] में नहीं है क्यों कि रास्ते के संबंध

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए प्रभाव में आ चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण राज0 उपनिवेशन सामान्य शर्त सं0 8 (2) में किया है। जबकि इसका निस्तारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत होना चाहिए था तथा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ते में आई भूमि के बदले में भूमि देने अथवा डीएलसी दर की दौगुनी राशि देने का भी आदेश नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नही है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपनी कृषि भूमि में वे प. नं. 126/386 के किलानं. 21 ता 25 में बने चालू रास्ता होते हुए आवागमन करते हैं। उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई चालू रास्ता नहीं है। अप्रार्थी प्रेमकुमानर–साहबराम–कृष्ण पि0 हरपाल ने इस रास्ता को बंद कर दिया है जिससे प्रार्थीगण का आवागमन बंद हो गया है। प्रार्थीगण ने रास्ता चालू करवाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीदार रावतसर से जांच करवाई जिस पर तहसीलदार ने प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत करने का प्रस्ताव भिजवाया। पुनः अपीलाण्ट के प्रार्थना–पत्र पर रिपोर्ट मंगवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प3(2) राज/6/2013/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत राजस्थान उपनिवेशन 1955 की शर्त 8 (2) के तहत रास्ता स्वीकृत किया है जो विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (18) 2011 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 4 ता 13 ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा विगत 40 वर्षों से अधिक समय से चालू रास्ता को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प3(2) राज/6/2013/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में अपीलाधीन आदेश प्रसारित किया गया है, जिससे हम रेस्पोडेण्ट सहमत हैं। इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता हम प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आवागमन हेतु नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधि सम्मत है। अपीलाण्ट की अपील पोषणीय नहीं है। अतः अपील अपीलाट खारिज की जावे।

8. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय [illegible] करने का कथन किया।

9. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

10. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में रास्ता स्वीकृत के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प3(2) राज/6/2013/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 का आधार लिया है। रेस्पोडेण्ट्स का कथन है कि वे अपनी भूमि में आवागमन के लिए प. नं. 126/386 के किला नं. 21 ता 25 में बनाये चालू रास्ता से होते हुए। आबादी भूमि चक 2 जेडडब्ल्यू एम में पिछले 50 वर्षों से आवागमन करते चले आ रहे है। उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। जबकि रेस्पोडेण्ट ने अन्य रास्ता उपलब्ध होने का कथन किया है। उपखण्ड अधिकारी रावतसर ने यह निर्णय राज0 उपनिवेशन सामान्य शर्त सं0 8 (2) के अन्तर्गत पारित किया है जबकि यह निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत किया जाना चाहिए था क्योंकि गजट अधिसूचना दिनांक 11.05.2012 के द्वारा रास्ते के संबंध में राज0 उपनिवेशन सामान्य शर्त सं0 8 (2) को डिलीट कर दिया गया है। प्रस्तुत परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016, के द्वारा रास्ते के संबंध में राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2016 के लिए रास्ते संबंध में जो प्रावधान बताये गये हैं वह माह नवम्बर से 15 दिसम्बर 2016 तक पूर्ण की जानी थी। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश उक्त अवधि के बाद दिनांक 03.02.2021 को पारित किया गया है। प्रकरण में धारा 251 ए के बिन्दूओं जैसे कि रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता एवं निकटतम रास्ते के बिन्दूओं पर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के अनुसार भू अभिलेख स्तर के अधिकारी से मौका निरीक्षण रिपोर्ट लेनी चाहिए थी जो नहीं ली गई है। अपील में रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ता 13 ने उपस्थित आकर दिनांक 18.08.2021 को प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि वे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता स्वीकृत किये जाने के निर्णय से पूर्णतः सहमत हैं। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.02.2021 अपीलाण्ट की कृषि भूमि चक 126/386 मु. नं. 23 किला नं. 21 ता 24 की हद तक अपास्त किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि प्रकरण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251'ए' में विहित प्रक्रियानुसार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.02.2021 को अपीलाण्ट की कृषि भूमि चक 126/386 मु. नं. 23 किला नं. 21 ता 24 की हद तक निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251'ए' में

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Karlar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विहित प्रक्रियानुसार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। तबतक चक 126/386 मु. नं. 23 किला नं. 21 ता 24 में रास्ता चालू को बन्द नहीं किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

12. निर्णय आज दिनांक 24.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

24.9.21

(करतारसिह पूनियॉ)
आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:41 IST
Reason: SelfAttested